



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122023-250958
CG-DL-E-29122023-250958

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5251]
No. 5251]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2023/पौष 8, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2023/PAUSHA 8, 1945

संचार मंत्रालय
(डाक विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023

का. आ. 5484(अ).—केन्द्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 29 दिसंबर को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस दिन को उक्त अधिनियम के उपबंध, जहां तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्यांक 2 तथा उसकी प्रविष्टियों से है, जो भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) से संबंधित हैं, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 27-1/2021-पीओ]
जगन्नाथ श्रीनिवासन, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Posts)
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2023

S.O. 5484(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment Of Provisions) Act, 2023(18 of 2023), the Central Government hereby appoints the 29th December as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 2 and the entries thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), shall come into force.

[F. No. 27-1/2021-PO]
JAGANNATH SRINIVASAN, Dy. Director General